

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं०सं०- पि०व०/४/आ०क०वि०नि० एवं जी०र्ण०/२५-१०/२०२२- 37

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना दिनांक- 26/3/26

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में पटना जिलान्तर्गत अथमलगोला में 520 आसनवाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में अतिरिक्त कार्यो हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना से प्राप्त कुल तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन राशि रू० 4.8285 करोड़ (रू० चार करोड़ बयासी लाख पचासी हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

2. राज्य स्कीम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में पटना जिलान्तर्गत अथमलगोला में 520 आसनवाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में अतिरिक्त कार्यो हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना से प्राप्त कुल तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन राशि रू० 4.8285 करोड़ (रू० चार करोड़ बयासी लाख पचासी हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. स्वीकृत राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग सं०-03 मुख्य बजट शीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष-051-निर्माण-उपशीर्ष-01118-पिछड़े वर्गों के आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार विपत्र कोड-03-4059800510118 विषय शीर्ष 5301, मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा प्राधिकृत संबंधित भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता होंगे तथा इसकी निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के पत्रांक-8244 दिनांक- 02.08.2010 के आलोक में निकासी की कारवाई करेंगे।

5. बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना के पत्रांक-887 दिनांक-11.03.2026 के द्वारा पटना जिलान्तर्गत अथमलगोला में 520 आसनवाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में अतिरिक्त कार्यो हेतु प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आलोक में बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा निर्धारित मापदण्ड, गुणवत्ता के अनुसार कार्य समय-सीमा के अन्दर पूर्ण किया जायेगा।

6. इस योजना का विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (DPR) तैयार करने वाले एजेन्सी का दायित्व होगा कि निर्माण कार्य, फर्निशिंग एवं अनुरक्षण गुणवत्तापूर्ण हो, योजना का अनुश्रवण समय-समय पर किया जाय साथ ही योजना निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूर्ण हो।

7. इस योजना के लिए नियंत्री पदाधिकारी सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना होंगे। वे समय-समय पर कार्य की प्रगति एवं व्यय की गयी राशि की उपयोगिता की सूचना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को माहवार उपलब्ध करायेंगे।

8. संबंधित भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के द्वारा कार्य से संबंधित विस्तृत प्राक्कलन एवं DPR Report जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा एवं कार्य पूर्ण होने के उपरांत सक्षम प्राधिकार को हस्तांतरित किया जाएगा तथा इसकी सूचना जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, पटना तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को भी निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

9. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र सं०-2561 दिनांक- 17.04.98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के तहत दिए गए निदेशों के आलोक में की जायेगी।

P.T.O

10. प्रस्ताव पर दिनांक-25.03.2026 को आयोजित स्कीम स्क्रनिंग समिति की बैठक में अनुशंसा प्राप्त है।
11. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
12. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अनिल कुमार ठाकुर),

अपर सचिव।

ज्ञापांक- पि0व0/4/आ0क0वि0नि0 एवं जीर्णो/25-10/2022-37 पटना, दिनांक- 26/3/26
प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार,
पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन
निर्माण निगम लि0, पटना/बजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर सचिव।

ज्ञापांक- पि0व0/4/आ0क0वि0नि0 एवं जीर्णो/25-10/2022-37 पटना, दिनांक- 26/3/26
प्रतिलिपि-प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/उप विकास आयुक्त,
पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/प्रमंडलीय उप निदेशक पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, पटना
प्रमंडल, पटना/जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, पटना/कार्यपालक अभियंता, संबंधित
भवन प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर सचिव।

ज्ञापांक- पि0व0/4/आ0क0वि0नि0 एवं जीर्णो/25-10/2022-37 पटना, दिनांक- 26/3/26
प्रतिलिपि-निदेशक/उप सचिव (बजट शाखा)/अपर मुख्य सचिव के वरीय प्रधान आप्त
सचिव/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु), पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग
कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर सचिव।